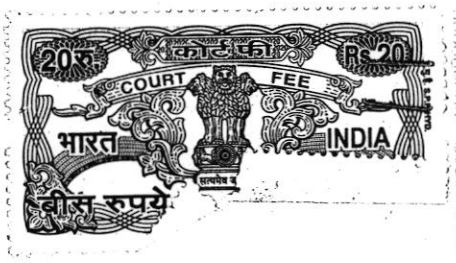

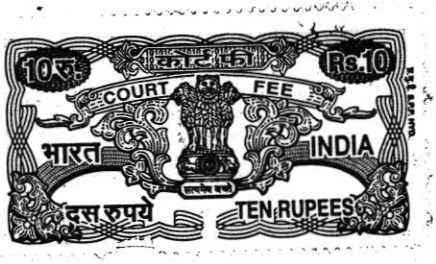

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग – 1932 – I – 16

प्रकरण कमांक –एक/2016 अभ्यावेदन

1– गणेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0मोहनलाल

2– महेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0मोहनलाल

2– राजेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0मोहनलाल

4– रमेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0मोहनलाल

सभी निवासी लटकारी का पड़ाव

सब्जी मंडी जबलपुर मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर जिला जबलपुर

2– पुलिस अधीक्षक जबलपुर ----अनावेदकगण

(अभ्यावेदन अंतर्गत कंडिका 18 – राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 सहपठित म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 की धारा 50 – कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 41 अ–20/ अ.कले. 1/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–3–2014 के विरूद्ध)

कृ0पृ0उ0––2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1932-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 41/अ-20/अप.कले.1/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26.04.2018 को उभयपक्षों को लिखित बहस पेश करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था, परंतु किसी पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश नहीं की गई है। आवेदक के द्वारा एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि उन्हें एक माह का समय मौखिक तर्क हेतु दिया जाए। 3/ आवेदक के आवेदन पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक जान-बूझकर इस प्रकरण को इस न्यायालय में लंबित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत भूमि आबंटन का है। कलेक्टर जबलपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कंडिका 36 के तहत प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र. शासन गृह विभाग को नवीन पुलिस थाना विजयनगर के कार्यालय भवन हेतु शर्तों पर आबंटित की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आबंटित की गई भूमि संबंधी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन/अपील /निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुए यह निगरानी क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील/निगरानी आदि प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। पक्षकार सूचित हों, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	